मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-27.09.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. **आपदा प्रबंधन विभाग** में अवमाननावाद का 2 (दो) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 का 8 (आठ) मामला लम्बित है। सी0डब्लू0जे0सी0 में Proforma Party होने की स्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर मामले का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिया गया।

3. **उद्योग विभाग** में सी0डब्लू0जे0सी0 का 17 (सत्रह) मामला लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा मामले की समीक्षा कर शपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

4. **कृषि विभाग** में अवमाननावाद का 9 (नौ) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 का 58 (अन्ठावन) मामले लम्बित है। सेवा निवृत्ति से संबंधित अवमाननावादों में शीघ्र निर्णय लेने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 में चार सप्ताह के पहले के मामले में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कारवाई करने का मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया।

5. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** में अवमाननावाद के 48 (अड़तालीस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 506 (पाँच सौ छ:) मामले लम्बित है। अवमाननावाद के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित अधिवक्ता को ससमय तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 की समीक्षा कर त्वरित कारवाई करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिया गया।

6. **परिवहन विभाग** में अवमाननावाद का 8 (आठ) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 का 35 (पैतीस) मामले लम्बित है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमाननावाद में शीघ्र कारण-पृच्छा दायर करने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।

7. बैठक में विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के स्थान पर मनोनीत पदाधिकारियों की उपस्थिति पर मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा बैठक की महत्ता को देखते हुए अगली सभी बैठकों में विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को भाग लेने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि भविष्य में प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष से अन्यून स्तर के पदाधिकारी बैठक में भाग नहीं लेंगे।

8. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर में शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित

किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य, उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

15.10.13

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7644 जे0 पटना, दिनांक- 22-10-13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/13

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7644 जे0 पटना, दिनांक- 22-10-13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/13

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।